BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 13 नवम्बर, 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 08 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त मुल्ला युनूस पुत्र शेरदीन निवासी मौ0 आदिल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2014 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16.12.2014 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं–927/2014 धारा 363,366,376,120 बी भादवि व 04 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 13.11.2015 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 07 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 13.11.2024 को न्यायाधीश श्री तरुण कुमार सिंह (मा0 न्यायालय स्पेशल जज पोक्सो एक्ट-जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त मुल्ला युनूस को 08 वर्ष का कठोर कारावास व 40,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री सुनील शर्मा, श्री वरुण कोशिक व श्री आशुतोष का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।